न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./07/2024

1. गोरधन उर्फ गोवर्धन पुत्र श्री मोहनलाल जाति भांबी निवासी बरसनी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र उगमा जाति मेघवन्शी निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर
2. महावीर पुत्र कुन्दनमल जाति मेघवन्शी निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर
3. हीरालाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवन्शी निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर
4. शंकर पुत्र सुवालाल जाति खटीक निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर
5. प्रकाश पुत्र उगमा जाति मेघवन्शी निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर
6. कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी गुढ़ाखुर्द जिला अजमेर (विलोपित)
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते भिनाय (केकड़ी)

निर्णय दिनांकः–31.12.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनियां
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गुढ़ाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढ़ाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 304 में दर्ज खसरा नम्बर 1625 रकबा 1.61, खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.81 और खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.87 कुल किता 03 कुल रकबा 3.30 हैक्ट तथा खाता सं0 89 में दर्ज खसरा नम्बर 1507/2981 रकबा 1.62 कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्राथी संख्या 01 लगायत 05 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित करने बाबत्, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से, अप्रार्थी संख्या 06 का नाम विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

गया। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस निश्चय की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम गुढाखुर्द के खाता संख्या 304 तथा 89 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा गुढ़ाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढ़ाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 304 में दर्ज खसरा नम्बर 1625 रकबा 1.61, खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.81 और खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.87 कुल किता 03 कुल रकबा 3.30 हैक्ट तथा खाता सं0 89 में दर्ज खसरा नम्बर 1507/2981 रकबा 1.62 कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

...या। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस ...त की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम गुढाखुर्द के खाता संख्या 304 तथा 89 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा गुढ़ाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढ़ाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 304 में दर्ज खसरा नम्बर 1625 रकबा 1.61, खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.81 और खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.87 कुल किता 03 कुल रकबा 3.30 हैक्ट तथा खाता सं0 89 में दर्ज खसरा नम्बर 1507/2981 रकबा 1.62 कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)